राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4057/2024

भोपाल राम पुरोहित पुत्र श्री हीरा जी पुरोहित, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी किवरली, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही,राजस्थान

----अपीलार्थी

बनाम

गीता पत्नी श्री भोपाल राम पुरोहित, पुत्री श्री मोहन भाई, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, आकराभट्टा, तहसील आबूरोड, जिला सिरोही,राजस्थान

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री शम्भू सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री मोहम्मद जावेद गौरी, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

12/08/2024

1. याचिकाकर्ता यहां विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश संख्या 1, आबू रोड, जिला सिरोही द्वारा आपराधिक अपील संख्या 05/2023 में पारित दिनांक 06.04.2024 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत अपील को खारिज कर दिया गया था। विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया गया आदेश विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, आबू रोड द्वारा आपराधिक विविध मामला संख्या 234/2022 में पारित दिनांक 21.02.2023 का आदेश है, जिसके तहत प्रतिवादी-पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने दो नाबालिग बच्चों के लिए 4,000/- रुपये (कुल 8,000/- रुपये) का भरण-पोषण प्रदान किया था। चूंकि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम भरण-पोषण राशि का भुगतान करने की तारीख का उल्लेख नहीं किया था, इसलिए प्रतिवादी-पत्नी ने एक आवेदन दायर किया, जिसे दिनांक 02.12.2023 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई और आवेदन दायर करने की तारीख से अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

2. सुनवाई हुई।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकता था। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश की समीक्षा करते समय त्रुटि की है और भरण-पोषण देने की तिथि को आदेश की तिथि अर्थात 21.02.2023 के बजाय आवेदन दाखिल करने की तिथि से निर्धारित किया है। उन्होंने हरि सिंह मान बनाम हरभजन सिंह बाजवा एवं अन्य : एआईआर 2001 एससी 43 और अतुल शुक्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य : एसएलपी (सीआरएल) 1166/2019 के मामलों में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है, जो 06.05.2019 को तय हुए थे।

4. मैं सैद्धांतिक रूप से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत विधि के प्रस्ताव से सहमत हूँ कि विद्वान मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 362 तथा उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर अपने आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते थे। लेकिन उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें शामिल अपराध धारा 364 और 323 के साथ धारा 34 आईपीसी के थे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार अंतिम आदेश पारित हो जाने के बाद, न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, यहाँ वैवाहिक कलह से उत्पन्न अर्ध-आपराधिक कार्यवाही का मामला है।

5. विधि की यह स्थापित स्थिति है कि पत्नी द्वारा दायर आवेदन पर अंतरिम भरण-पोषण आमतौर पर ऐसे भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर करने की तिथि से दिया जाता है। मेरी राय में, विद्वान मजिस्ट्रेट के पास पूरक उपाय करने और आक्षेपित आदेश पारित करने की शक्तियाँ थीं। मैं नहीं समझता कि यह उनके आदेश की समीक्षा के बराबर है।

6. पिछला आदेश केवल मासिक भरण-पोषण निर्धारित करने के लिए था और पूरक आदेश अर्थात दिनांक 02.12.2023 को चुनौती दी गई है, जिसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है, जिसमें पति को यह निर्देश दिया गया है कि आवेदन की तिथि से भरण-पोषण का भुगतान किया जाए।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।

8. तदनुसार खारिज किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।